

**बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग**

का0आ0सं0- भवन/भू-सम्पदा-01-आवास-(राजपत्रित)-01/2025 32

पटना, दिनांक- 4/4/25

'कार्यालय आदेश'

निम्नांकित राजपत्रित पदाधिकारियों को पटना केन्द्रीय पूल से गर्दनीबाग आवासीय परिसर, पटना में नियमानुसार आदेय किराया एवं करों के भुगतान की शर्त पर आवास आवंटित किया जाता है :-

क्र0	Reg.no.	नाम/पदनाम	विभाग/कार्यालय	आवंटित आवास संख्या
1	GZ15712	श्री रोहित कुमार, सहायक श्रमायुक्त	श्रम संसाधन विभाग, पटना	D5/403 गर्दनीबाग
2	BG7875	श्रीमती अनुराधा सिंह, पुलिस उपाधीक्षक	आर्थिक अपराध इकाई, पटना	C7/202 गर्दनीबाग
3	BG7877	सुश्री संगीता, पुलिस उपाधीक्षक	साईबर क्राईम, पटना	C7/203 गर्दनीबाग
4	GZ15706	श्री पंकज कुमार, पुलिस उपाधीक्षक	आर्थिक अपराध इकाई, पटना	C7/204 गर्दनीबाग
5	BG7898	श्री दिलीप कुमार, पुलिस उपाधीक्षक	आर्थिक अपराध इकाई, पटना	C7/301 गर्दनीबाग
6	BG7878	श्री नीतीश चन्द्र धारिया, पुलिस उपाधीक्षक	साईबर क्राईम, पटना	C7/302 गर्दनीबाग
7	BG7879	श्रीमती मनिषा बेबी, पुलिस उपाधीक्षक	अपराध अनुसंधान विभाग (सी0आई0डी0), पटना	C7/303 गर्दनीबाग
8	BG7882	श्री संतोष कुमार पोद्दार, पुलिस उपाधीक्षक	अपराध अनुसंधान विभाग (सी0आई0डी0), पटना	C7/304 गर्दनीबाग
9	BG7881	मो0 अजहरुद्दीन, पुलिस उपाधीक्षक	अपराध अनुसंधान विभाग (सी0आई0डी0), पटना	C7/601 गर्दनीबाग
10	BG7883	श्री आशुतोष रंजन, पुलिस उपाधीक्षक	विशेष कार्य बल, पटना	C7/602 गर्दनीबाग
11	BG7899	श्रीमती माधुरी कुमारी, पुलिस उपाधीक्षक	आर्थिक अपराध इकाई, पटना	C7/603 गर्दनीबाग
12	BG7900	सुश्री कामिनी कौशल, पुलिस उपाधीक्षक	अपराध अनुसंधान विभाग (सी0आई0डी0), पटना	C7/604 गर्दनीबाग
13	GZ5773	श्रीमती पल्लवी कुमारी, पुलिस उपाधीक्षक	विशेष शाखा, पटना	C7/701 गर्दनीबाग
14	BN8039	श्री पिन्दू कुमार, आप्त सचिव (मा0 मंत्री)	पंचायती राज विभाग	C6/803 गर्दनीबाग

- सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-10 के अधीन आवंटी पदाधिकारी से अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे कि उन्हें आवंटित आवास स्वीकार है अथवा नहीं। यदि आवंटित आवास स्वीकार है तो उक्त अवधि के अन्दर आवास अधिग्रहण कर भवन निर्माण विभाग को तदनुसार सूचित करेंगे। उक्त अवधि में आवंटी पदाधिकारी से कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जायेगा।
- नये आवंटी पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता से सम्पर्क स्थापित कर (मो0 नं0-9264293043) आवंटित आवास का प्रभार लेकर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।

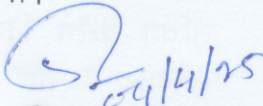
4. स्थानान्तरण या अन्य कारणों से पटना स्थित पात्र कार्यालय में पदस्थापन की अवधि समाप्त होने पर उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जाएगा और उनसे सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-11(2) में विहित प्रावधानों के अनुसार मानक किराया/दण्ड किराया लिया जाएगा तथा नियमानुसार निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी।
5. पटना से बाहर स्थानान्तरण के उपरांत आवास दखल में रखने की अनुमान्य अवधि मात्र 1 (एक) माह है। उक्त अवधि के पश्चात मानक किराया का 30 गुना प्रति माह की दर से दण्ड किराया एवं मासिक मेंटेनेंस चार्ज वसूल किया जायेगा तथा निष्कासन की भी कार्रवाई की जायेगी।

विभागीय आदेश सं०-3473, दिनांक-30.04.2024 के आलोक में गर्दनीबाग में नवनिर्मित बहुमंजिला आवासीय परिसर के कॉमन एरीया का साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, लिफ्ट, डब्ल्यू0टी0पी0, एस0टी0पी0, जेनरेटर आदि का परिचालन में होने वाले व्यय को ध्यान में रखकर मानक किराया के साथ अतिरिक्त मासिक मेंटेनेंस चार्ज भी लिया जायेगा जो निम्नवत है :-

क्र०	आवास का टाईप	मासिक मानक किराया	मासिक मेंटेनेंस चार्ज	प्रति आवास कुल मासिक कटौती
1.	डी-टाईप आवास, गर्दनीबाग	₹936	₹1248	₹2184
2.	सी-टाईप आवास, गर्दनीबाग	₹660	₹880	₹1540

उपर्युक्त मासिक चार्ज को संबंधित आवासी के विभाग द्वारा प्रतिमाह मानक किराया के साथ ही वेतन से कटौती की जायेगी।

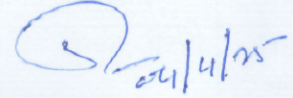
6. अगर आवासी का पटना में कोई अपना मकान हो तो आवास आवंटन नियमावली, 1986 के प्रावधान के अनुसार इस संबंध में वे तदनुसार, कार्यपालक अभियंता, कर प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग को आवास अधिग्रहण की स्थिति में सूचित करेंगे।
7. भवन निर्माण विभाग के पूर्व लिखित अनुमति लिए बिना आवास में पदाधिकारी द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा। यदि कोई पदाधिकारी आवास के किसी भी भाग में अनधिकृत रूप से कोई निर्माण कार्य करे ; अथवा आवास का या उसके किसी भाग का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करे जिस प्रयोजन के लिए वह नहीं बना है, तो आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-22 के तहत भवन सचिव आवास का आवंटन रद्द कर सकेंगे तथा संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।
8. आवास परिवर्तन हेतु कोई भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. निजी कारणों से यदि आवंटी द्वारा आदेश निर्गत होने के 30 दिनों के अन्दर आवंटित आवास का प्रभार नहीं लिया जाता है तो आवास आवंटन नियमावली-1986 के नियम-10 तथा भवन निर्माण विभाग के संकल्प संख्या-1292(भ), दिनांक 01.03.1997 के नियम-6 (ख) के तहत एक वर्ष तक उन्हें कोई दूसरा आवास आवंटित नहीं किया जायेगा और उक्त आवास दूसरे पात्र पदाधिकारियों को आवंटित कर दिया जायेगा।
10. सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।
11. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(शिव रजन)

उप सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापांक:—भवन/भू-सम्पदा-01-आवास-(राजपत्रित)-01/2025- 3322(1) पटना, दिनांक:—4/4/25

प्रतिलिपि:—माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी संबंधित आवंटी पदाधिकारी/मुख्य अभियंता(पटना)/कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल/कार्यपालक अभियंता, कर प्रमण्डल/विद्युत कार्य प्रमण्डल सं०-1 एवं 03/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू)/निदेशक (तकनीकी), एन.आई. सी/आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



उप सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी।